राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4458 / 2022

गोपाल लाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. उप सचिव, कृषि विभाग कम पंचायती राज (कृषि) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. राजेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किशनगढबास, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) कि द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सहायक निदेशक, कृषि (वि.) किशनगढबास अलवर से सहायक निदेशक कृषि (मु.) कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद धौलपुर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 16.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढबास से सहा. निदेशक कृषि विस्तार जैसलमेर में किया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 3232/2021 प्रस्तुत की। अधिकरण द्वारा इस अपील में आदेश दिनांक 25.08.2021 पारित

करते हुए आदेश दिनांक 16.08.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। इस स्थगन आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी पूर्व पदस्थापित स्थान किशनगढबास में ही कार्यरत रहा। उनका तर्क है कि अधिकरण द्वारा अपील का निस्तारण किया जा चुका है, जिसमें राज्य सरकार को नए सिरे से स्थानांतरण करने की छूट दी गई थी। जिस दिनांक को अपील का निस्तारण हुआ, उसी दिन अपीलार्थी के संबंध में नया स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्वक किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के संबंध में स्थगित किया जावे।

4. निजी प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश दिनांक 31.08.2022 की पालना में उत्तरदाता ने दिनांक 02.09.2022 को सहायक निदेशक कृषि विस्तार किशनगढबास अलवर में कार्यग्रहण कर लिया है। माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में अपीलार्थी की अपील में दिनांक 25.08.2021 को जो स्थगन आदेश जारी किया गया था, उसमें प्रत्यर्थी विभाग को पूर्व से ही नियमानुसार स्थानांतरण करने की छूट दी गई थी। आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है एवं नियमानुसार प्रशासनिक व जनहित में पारित किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्वक किया गया हो। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2020 से पदस्थापित है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण उचित अवधि के पश्चात् किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की दुर्भावना, नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
8. आदेश आज दिनांक 04.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)